

क्रमांक 3328700 / 23 / 2019

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन तुलसीनगर,

भोपाल(म.प्र.)-462003

Telephone 2552646,2552878.Fax-2552406, Email ID-encwrbpl-mp@nic.in


::-आदेश-::

भोपाल, दिनांक 07/12/2020

श्री हरिनारायण पाठक, तत्कालीन अमीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लहार शाखा नहर संभाग, लहार जिला भिण्ड को अपने वेतन भुगतान एवं स्थानान्तरण हेतु सीधे माननीय मुख्य मंत्री, विभागीय मंत्री म.प्र. शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार कर आत्मदाह करने की धमकी एवं अभद्र शब्दों का उपयोग कर शासकीय सेवकों की गरिमा को धूमिल किये जाने की अनुशासनहीनता करने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश दिनांक 05.10.2019 द्वारा निलंबित कर कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सबलगढ़ जिला मुरैना में संबद्ध कर पत्र दिनांक 06.11.2019 से आरोपपत्रादि जारी कर तत्संबंध में उत्तर चाहा गया ।

श्री पाठक, अमीन (निलंबित) का प्राप्त उत्तर दिनांक 02.12.2019 अभिलेखीय साक्ष्य अनुसार समाधानकारक होना नहीं पाया गया । उक्त परिपेक्ष्य में श्री पाठक, अमीन (निलंबित) के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच संस्थित किये जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है ।

अतः एतद् द्वारा श्री हरिनारायण पाठक, अमीन (निलंबित) के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-14 (5) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत विस्तृत विभागीय जांच हेतु अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, मुरैना को जांचकर्ता अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सबलगढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।


(मदन सिंह डायर)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 3328700 / 23 / 2019

भोपाल, दिनांक 07/12/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर ।

3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, मुरैना। की ओर अपचारी के विरुद्ध जारी आरोप पत्रादि एवं प्राप्त उत्तर की प्रति संलग्न प्रेषित कर शीघ्र जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध है।
4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संबलगढ़, जिला मुरैना।
5. संबंधित श्री हरिनारायण पाठक, अमीन, द्वारा स.कं-2.
6. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शन हेतु।

सहपत्र:-स.क. 3 के लिये।

22
7/2/2020


(मदन सिंह डावर)
प्रमुख अभियंता